

राजस्व पर्षद बिहार, पटना।
सं०सं०-०२/परी०-०९(को० प्र०)-१०/२०१९-५८५

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. उप सचिव-सह-उप निदेशक (प्र०) गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना
2. अवर सचिव, (वै०दा०नि०को०) वित्त विभाग बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 18-05-2022

विषय:- बिहार कारा सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/पता	प्रशिक्षण अवधि	संबंधित जिला पदाधिकारी/ समा० द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह० की तिथि।
1	Shri Rakesh Kumar, Jail Superitendent, Sasaram, District-Rohtas (Bihar)	31.03.2022 से 13.04.2022 तक	13.04.2022

विश्वासमाजन,

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को० प्र०)-१०/२०१९-५८५

पटना, दिनांक:- 18-05-2022

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी रोहतास एवं Shri Rakesh Kumar, Jail Superitendent, Sasaram,
District-Rohtas (Bihar) को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।